2018/00067

अपीला संख्या 18/67

## किशन लाल बनाम सरकार

| | |
|---|---|
| 31.01.2018 | पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील श्री ब्रजनारायण शर्मा अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.1970 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील मियाद बाहर होने से सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता को सुना गया ।<br><br>अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट उक्त आराजी पर उनके पिता के जीवनकाल से ही काबिज है और उक्त भूमि उनके खाते व कब्जे काश्त में रही है। उक्त भूमि से बेदखल करने का पटवारी हल्का के माह नवम्बर 2017 में कहने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवा कर उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।<br><br>हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.1970 के विरूद्ध दिनांक 09.01.2018 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जो लगभग 47–48 वर्ष बाद प्रस्तुत की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण दर्शित किये हैं वह पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । वैसे भी विधि के अनुसार विलम्ब के प्रतिदिन के हिसाब से कारण दर्शित करने चाहिए परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है उनके कथनों की पुष्टि होती हो । इस प्रकार अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये है ।<br><br>**आर.एल.डब्ल्यू. 2001 (राज.) पृष्ठ संख्या 923** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए यह अभिमत दिया है कि विलम्ब माफी चाहने वाले पक्षकार हेतु यह आवश्यक है कि वह पर्याप्त कारणों का उल्लेख करें । **2010 (2) आर.आर.टी. पेज 801** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – विलम्ब का शमन – पर्याप्त कारण– अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब – विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया जिससे अपील व प्रार्थना पत्र खारिज किया । उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कोई संतोषप्रद स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किये हैं । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के कथनों की पुष्टि नहीं होती है और जब तक विलम्ब के स्पष्ट संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये जाते जब तक विलम्ब अवधि को क्षम्य |

नहीं किया जा सकता ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्बित अवधि क्षम्य किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा